आदेश

एक ही राजस्थान ग्राम में अत्यंत नजदीक एक से अधिक राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय संयोजित होने के कारण विद्यालयों में पयार नामांकन उपलब्ध नहीं हो पाता है। जिसके कारण आर्टी.ई. मानदंडों के अनुसार अध्यापकों के पद स्वीकृत करने के बावजूद भी प्रत्येक कक्षा हेतु पृथक शिक्षक की उपलब्धता संभव नहीं हो पाती है एवं शिक्षा की गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित होती है।

इस स्थिति को मध्यनजर रखते हुए कम नामांकन वाले प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उसी राजस्थान ग्राम के निकटतम अत्यन्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में सम्मिलित करने हेतु निवेदनक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर द्वारा प्रस्ताव तैयार कर आयुक्त, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर को प्रस्तुत किया गया। समन्वय के प्रस्तावों की जाँच एवं परीक्षण हेतु आयुक्त, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर से प्राप्त प्रस्तावों की आर्टी.ई. मानदंडों के अन्तर्गत जोंच उपरान्त शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु समन्वय के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किए गए।

विभाग द्वारा परीक्षण पूर्णित स्कूल शिक्षा में गुणस्तर सुधार सुनिश्चित करने के लिए जिला जालोर के कम नामांकन वाले कॉलेम संख्या 5 में वर्णित विद्यालय को कॉलेम संख्या 6 में वर्णित विद्यालय में सम्मिलित किए जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:—

<table>
<thead>
<tr>
<th>जिला का नाम</th>
<th>ब्लॉक का नाम</th>
<th>ग्राम पंचायत</th>
<th>राजस्थान ग्राम</th>
<th>विद्यालय का नाम जिसले सम्मिलित किया जाना है</th>
<th>विद्यालय का नाम जिसमें कॉलेम संख्या 5 के विद्यालय का सम्मिलित किया जाना है</th>
<th>विशेष विवरण</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>जालोर</td>
<td>सायला</td>
<td>सुनारा</td>
<td>राजस्थान ग्राम</td>
<td>रायप्रांति केरला पुण्यावास</td>
<td>रायप्रांति पुण्यावास</td>
<td>विवृति</td>
</tr>
<tr>
<td>जालोर</td>
<td>सायला</td>
<td>दादाल</td>
<td>राजस्थान ग्राम</td>
<td>रायप्रांति बार्ड नं 8 दादाल</td>
<td>रायप्रांति चामुण्डा मंदिर दादाल</td>
<td>विवृति</td>
</tr>
<tr>
<td>जालोर</td>
<td>सायला</td>
<td>कोमता</td>
<td>राजस्थान ग्राम</td>
<td>रायप्रांति दुर्गा एरिया</td>
<td>रायप्रांति खालिवाड़ी कोमता</td>
<td>विवृति</td>
</tr>
<tr>
<td>जालोर</td>
<td>सायला</td>
<td>सुर्वाणा</td>
<td>राजस्थान ग्राम</td>
<td>रायप्रांति ओकडनाथ</td>
<td>रायप्रांति दहिया गमडोला</td>
<td>विवृति</td>
</tr>
<tr>
<td>जालोर</td>
<td>सायला</td>
<td>जीवाणा</td>
<td>राजस्थान ग्राम</td>
<td>रायप्रांति देहला बेरा जीवाणा</td>
<td>रायप्रांति मोतु की नाडी</td>
<td>विवृति</td>
</tr>
<tr>
<td>जालोर</td>
<td>सायला</td>
<td>सायला</td>
<td>राजस्थान ग्राम</td>
<td>रायप्रांति अंटा नाडा सायला</td>
<td>रायप्रांति बंधियापंडी सायला</td>
<td>विवृति</td>
</tr>
<tr>
<td>जालोर</td>
<td>सायला</td>
<td>जीवाणा</td>
<td>राजस्थान ग्राम</td>
<td>रायप्रांति काढ़ा नाडा दहिया</td>
<td>रायप्रांति दहिया</td>
<td>विवृति</td>
</tr>
<tr>
<td>जालोर</td>
<td>सायला</td>
<td>आसाणा</td>
<td>सोरवाडा</td>
<td>रास्ताविष साधा चमना सोरवाडा</td>
<td>रास्ताविष रोहतान्सिंह का बेहार सोरवाडा</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>---------</td>
<td>----------</td>
<td>--------------------------------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>जालोर</td>
<td>सायला</td>
<td>चोराउ</td>
<td>चोराउ</td>
<td>रास्ताविष सापु की ढाणी चोराउ</td>
<td>रास्ताविष रुपा बादी चोराउ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>जालोर</td>
<td>सायला</td>
<td>तेजा की बेशी</td>
<td>तुब्खा की ढाणी</td>
<td>रास्ताविष कोलानीयों की ढाणी तेजा की बेशी</td>
<td>रास्ताविष बुधा की ढाणी</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>जालोर</td>
<td>भोमाल</td>
<td>भालनी</td>
<td>भालनी</td>
<td>रास्ताविष भीलो व नवाश्रियों की ढाणी भालनी</td>
<td>रास्ताविष रुपा की ढाणी भालनी</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>जालोर</td>
<td>रानीवाडा</td>
<td>धामसीन</td>
<td>रुपावडी कला</td>
<td>रास्ताविष भीलों की ढाणी रुपावडी कला ग्राम प॰-धामसीन</td>
<td>रास्ताविष रुपावडी कला</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>जालोर</td>
<td>रानीवाडा</td>
<td>गोंग</td>
<td>हिरपुरा</td>
<td>रास्ताविष कर्मी काग की ढाणी हिरपुरा ग्राम प॰-गोंग</td>
<td>रास्ताविष हिरपुरा</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>जालोर</td>
<td>रानीवाडा</td>
<td>कुड़ा</td>
<td>पाल</td>
<td>रास्ताविष बोरिडियाली नाडी पाल ग्राम प॰-कुड़ा</td>
<td>रास्ताविष पाल</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>जालोर</td>
<td>रानीवाडा</td>
<td>कोटड़ा</td>
<td>कोटड़ा</td>
<td>रास्ताविष चिल्कों की ढाणी कोटड़ा ग्राम प॰-कोटड़ा</td>
<td>रास्ताविष खींचडी की ढाणी</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>जालोर</td>
<td>रानीवाडा</td>
<td>भाटीप</td>
<td>दिपांग</td>
<td>रास्ताविष उडाननाथी दिपांग ग्राम प॰-भाटीप</td>
<td>रास्ताविष उडा की ढाणी दिपांग</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>जालोर</td>
<td>जसवंतपुरा</td>
<td>जसवंतपुरा</td>
<td>जसवंतपुरा</td>
<td>रास्ताविष हढामतिया</td>
<td>रास्ताविष मालियों की ढाणी जसवंतपुरा</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>जालोर</td>
<td>सांचेप</td>
<td>सेडिया</td>
<td>सेडिया</td>
<td>रास्ताविष सुखा नाडी सेडिया</td>
<td>रास्ताविष नेलिया तालाब</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>जालोर</td>
<td>सांचेप</td>
<td>लियादरा</td>
<td>लियादरा</td>
<td>रास्ताविष जावरा नाडी लियादरा</td>
<td>रास्ताविष श्रोतल</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>जालोर</td>
<td>सांचेप</td>
<td>सेडिया</td>
<td>सेडिया</td>
<td>जवारसिह की ढाणी</td>
<td>रास्ताविष जाज्युलों की ढाणी गुंडाउ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>जालोर</td>
<td>सांचेप</td>
<td>गट्टाली</td>
<td>गट्टाली</td>
<td>पीणों की ढाणी गट्टाली</td>
<td>रास्ताविष गट्टाली</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>जालोर</td>
<td>सांचेप</td>
<td>प्रतापपुरा</td>
<td>प्रतापपुरा</td>
<td>रास्ताविष पजापों का गोलिया प्रतापपुरा</td>
<td>रास्ताविष डीकोडी घोरा प्रतापपुरा</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>जालोर</td>
<td>सांचेप</td>
<td>अरणाय</td>
<td>अरणाय</td>
<td>रास्ताविष चुरानीयों की ढाणी अरणाय</td>
<td>रास्ताविष परमारों की ढाणी अरणाय</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>जालोर</td>
<td>सांचेप</td>
<td>गुडाउ</td>
<td>गुडाउ</td>
<td>रास्ताविष सारणी की ढा. गुडाउ</td>
<td>रास्ताविष माजुलों की ढाणी सेडिया</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>जालोर</td>
<td>सांचेप</td>
<td>डेडला</td>
<td>डेडला</td>
<td>रास्ताविष गुरुओं की ढाणी</td>
<td>रास्ताविष गुरुओं का गोलिया डेडला</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>जालोर</td>
<td>सांचेप</td>
<td>कांडोल</td>
<td>कांडोल</td>
<td>हुक्मा की ढाणी कांडोल</td>
<td>रास्ताविष मन्ना की ढाणी नेलोल</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>जालोर</td>
<td>सांचेप</td>
<td>मारुखेडा</td>
<td>मारुखेडा</td>
<td>हिमलानी की ढाणी मारुखेडा</td>
<td>रास्ताविष मारुखेडा</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>जालोर</td>
<td>सांचेप</td>
<td>सरवाना</td>
<td>सरवाना</td>
<td>रास्ताविष होलाकुटी सरवाना</td>
<td>रास्ताविष कर्मातियों की ढा. सरवाना</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>जालोर</td>
<td>सायला</td>
<td>बाकरा</td>
<td>बाकरा</td>
<td>रास्ताविष जयरसिह का बेहार बाकरा</td>
<td>रास्ताविष सार्वरों का गोलिया बाकरा</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
उक्त समन्वयन निम्न दिशा—निर्देशों के अनुसार होगा :—

1. समाहित होने वाले कॉल्म संख्या 5 के राजकीय विधायक का पुष्कर से कोई प्रशासनिक अस्तित्व नहीं रहेगा तथा समस्त कक्षाएँ कॉल्म संख्या 6 के समाहित विधायक के अधीन संचालित की जायेगी।

2. निर्देशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के द्वारा एकीकरण के पश्चात स्थापित समाहित विधायक की विधायी संख्या के आधार पर राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक पदों के मानदंडों के निर्धारण हेतु जारी दिशा—निर्देश क्रमांक प.5(8)प्राशि/2016 दिनांक 21.04.2016 के अनुसार पदों का पुनः निर्धारण किया जायेगा एवं स्वीकृत पदों के आधार पर अधिशेष होने वाले शिक्षकों की अन्य विधायकों के स्वतंत्र पदों पर पदस्थापित किया जायेगा।

3. एकीकरण के पश्चात स्थापित होने वाले कॉल्म संख्या 6 के विधायक को समाहित होने वाले कॉल्म संख्या 5 के विधायक की समस्त स्थाई एवं अस्थाई परिसंपत्तियाँ यथा भूमि, भवन, खेत मैदान, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण, उपयोगी एवं अनुपयोगी सामग्री आदि का हस्तांतरण स्वतः ही हो जाएगा। एकीकरण से स्थापित समाहित विधायक द्वारा कक्षाओं के संचालन में समस्त भवन परिस्थितियाँ का आवश्यकतानुसार समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा। समुचित उपयोग पश्चात रिक्त रहने वाले परिस्थितियाँ का उपयोग निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
4. समन्वयन से पूर्व कॉलम संख्या 6 के विद्यालय अथवा उसमें समाहित होने वाले कॉलम संख्या 5 के विद्यालय का नाम किसी दानदाता/शहीद सैनिक/स्वतंत्रता सेनानी आदि के नाम से होने की स्थिति में समन्वित विद्यालय का नामकरण के संबंध में विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक प.11(40)शिक्षा–6 /05 /पार्ट दिनांक 11.02.2016 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

5. उक्त समन्वित किये जाने वाले विद्यालयों के संबंध में शाला दर्शन पोर्टल पर विद्यालयों की सूची में संशोधन कर समस्त प्रविष्टियों की जावे। यह कार्यवाही निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् द्वारा सुनिश्चित की जावे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(सुनील कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)

निर्माणक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–
1. निजी सचिव, सचिव प्रथम, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय,राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
7. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
8. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्,जयपुर।
9. निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,जयपुर।
10. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,जयपुर।
11. संभागीय आयुक्त ............
12. संविधान जिला कल्याण ............
13. संयुक्त शासन सचिव,प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)/ विशेष /उप शासन सचिव,प्रा.शि./
शिक्षा गुप–6 /गुप–2 /गुप–5 विभाग।
14. शासन उप सचिव,शिक्षा— गुप–1 विभाग।
15. समांत शिक्षा उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा ............
16. समांत विलायत शिक्षा अधिकारी,प्रारम्भिक/माध्यमिक (थथम/द्वितीय) ............
17. नोडल अधिकारी शाला दर्शन पोर्टल।
18. रक्षित पत्रावली।

(एस.एन.बादव)
अनुसंधान अधिकारी